झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

:: संकल्प ::

विषयः– **चतुर्थ एवं पंचम संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित हो चुके दिव्यांग अभ्यर्थियों को आगामी षष्टम् संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान करने के निमित्त परीक्षा हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा एवं परीक्षा में भाग लेने के अवसर को मात्र एक बार क्षांत किये जाने के सम्बन्ध में।**

झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची द्वारा आयोजित पंचम संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के अंतिम परीक्षाफल एवं अन्य बिन्दूओं के सम्बन्ध में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका डब्ल्यू0पी0(पी0आई0एल0) सं0–5764/2015 पी0 के0 सिद्धार्थ बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक–04.05.2016 को पारित अंतिम न्यायादेश में आदेश दिया है कि–
"वैसे दिव्यांग अभ्यर्थी जिन्होंने चतुर्थ एवं पंचम संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लिया था, उन्हें षष्टम् संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किये जाने के निमित्त मात्र एक बार निर्धारित आयु सीमा में छुट दिया जाय।"

2. माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालनार्थ राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा पूर्व में आयोजित चतुर्थ एवं पंचम संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित हुए दिव्यांग अभ्यर्थियों की उम्र सीमा एवं परीक्षा में भाग लेने के अवसर को मात्र एक बार छठी सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु क्षांत किये जाने का निर्णय किया गया है।

3. इस सम्बन्ध में पूर्व से निर्गत सभी संकल्पों/अधिसूचनाओं/आदेशों को इस हद तक संशोधित समझा जायेगा।

यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

आदेशः **आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार,झारखण्ड,राँची/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।**

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(निधि खरे)
सरकार के प्रधान सचिव।

कृ0पृ0उ0/–

ज्ञापांक–11 / लो0से0आ0–01–18 / 2015 का0 4655 / राँची, दिनांक–02 जून, 2016

प्रतिलिपिः– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को झारखण्ड ई–गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

2/6/16

(निधि खरे)

सरकार के प्रधान सचिव।